

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-01/2026/

पटना, दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान के पत्रांक-1540 दिनांक-08.05.2026 से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में श्री राजीव रंजन आजाद (जे0-10546), कनीय अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, सिवान के पिताजी के देहांत हो जाने के कारण उनके श्राद्ध-कर्म में बितायी गयी अवधि दिनांक-09.08.2025 से दिनांक-25.08.2025 तक (कुल-17 दिनों) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के प्रावधानानुसार उपार्जित अवकाश में विनियमित की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान के पत्रांक-1540 दिनांक-08.05.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान/ कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- श्री राजीव रंजन आजाद (जे0-10546), कनीय अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, सिवान को सूचनार्थ।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 2642 पटना/दिनांक - 19/5/26
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. QAS 19/05/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।